सं0-563

टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

पत्रांक-366 अधिनियम, ...ति वाद ...वेदन

अभिलेख उपस्थापित।

3 (1.) प्रेम राम पिता स्व0 पेरू राम, (2.) रनु राम, (3.) पन्नु राम दोनों के पिता स्व0 बुधन भुइंया उर्फ बुधन राम, निवास स्थान ग्राम–बरगड्डा, पोस्ट–बहिमर, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–कटकमसांडी, मौजा–बरगड्डा, थाना नं0–54, खाता संख्या–103 प्लॉट संख्या–2193 रकवा 0.03 (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि फुलमती देवी पति तिलेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम–बरगड्डा, पोस्ट–बहिमर, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-195/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1112/रा0 दिनांक 21.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 366 दिनांक 25.07.2023 के द्वारा आवेदित भूमि का जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला संख्या 2071 दिनांक 11.05.1945 से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत गुडन बरई हैं। केवाला अनुसार धारित कुल रकवा 0.19 एकड़ भूमि है। पंजी–।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.19 एकड़ भूमि है। ऑनलाईन पंजी–।। के पेज नं0-418/I पर बुधन भुइंया पिता नेपाली भुइंया के नाम से खाता संख्या–103 रकवा 0.19 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है। केवालाधारी विक्रेता संख्या–01 के दादा तथा विक्रेता संख्या–02 एवं 03 के पिता हैं। आवेदक द्वारा धारित भूमि 1.00 एकड़ से अधिक है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् इस भूमि के अतिरिक्त अन्य खाता में 1.00 एकड़ से अधिक भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में (1.) प्रेम राम पिता स्व0 पेरू राम, (2.) रनु राम, (3.) पन्नु राम दोनों के पिता स्व0 बुधन भुइंया उर्फ बुधन राम, निवास स्थान ग्राम-बरगड्डा, पोस्ट-बहिमर, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-बरगड्डा, थाना नं0-54, खाता संख्या-103 प्लॉट संख्या-2193 रकवा 0.03 (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि फुलमती देवी पति तिलेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-बरगड्डा, पोस्ट-बहिमर, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.09 16:54:05 +05:30
Location: 192.168.0.104